न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–25 / 2024
GCMS NO:- 2024/280

दायर दिनांक: 08.11.2024
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. रमेश कुमार मीना आ0 रामकिसन जाति मीना नि0 उरांसी तहसील नैनवॉं।
2. रामकिसन मीना आ0 गेन्दया जाति मीना नि0 उरांसी तहसील नैनवॉं।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत डोडी जर्ये ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवॉं।
2. ग्राम पंचायत डोडी जर्ये सरपंच पंचायत समिति नैनवॉं।
3. श्रीमान भूस्वामी तहसीलदार नैनवॉं जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम उरांसी प0न0 डोडी तहसीलज नैनवॉं म खाता संख्या 180 की खसरा नम्बर 234, 235, 236, 236/615, 238, 239, 240, 242, 563, 569, 570, 572 कुल किता 12 कुल रकबा 2.3948 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि पर आने जाने व कृषि संसाधनों को लाने ले जाने के लिए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड म खसरा नम्बर 231 गै.मु. रास्ता दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 231 के बाद खसरा नम्बर 232 मे रास्ता मौजूद नहीं होने से प्रार्थीगण को खेत काश्त मे भारी समस्या का सामना करना पडता है। खसरा नम्बर 232 म परिशिष्ट अ मे दर्शाये गए रास्ते ए से बी पर होकर आम सडक तक मिलता है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड म अंकन नहीं होने के कारण बदमाश आदमी व औरत रास्ता अवरूद्ध कर देते है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 232 मे होकर 15 फीट चौडा रास्ता दिया जावे जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 11.06.2025 को की जा चुकी है तथा प्रत्यार्थी संख्या 3 तहसीलदार नैनवॉं की रिपोर्ट दिनांक 19.6.2025 म प्राप्त हो चुकी है।

बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने व कृषि संसाधनों को लाने ले जाने के लिए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे खसरा नम्बर 231 गै.मु. रास्ता दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 231 के बाद खसरा नम्बर 232 म रास्ता मौजूद नहीं होने से प्रार्थीगण को खेत काश्त मे भारी समस्या का सामना करना पडता है। खसरा नम्बर 232 मे परिशिष्ट अ म दर्शाये गए रास्ते ए से बी पर होकर आम सडक तक मिलता है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड म अंकन नहीं होने के कारण बदमाश आदमी व औरत रास्ता अवरूद्व कर देते है जिससे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 232 म होकर 15 फीट चौडा रास्ता दिया जावे।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। साथ ही प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार नैनवॉं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 232 मे से होकर रास्ता चाहा गया है, वह आबादी हेतु आवंटित भूमि है तथा तहसीलदार नैनवॉं द्वारा भी इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि प्रार्थीगण जहां से होकर रास्ता चाह रहे है, वह भूमि गै0मु0 आबादी भूमि होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अतः खसरा नम्बर 232 किस्म गै0मु0 आबादी राजस्व रिकॉर्ड म आबादी हेतु आवंटित भूमि होने से उसमे से होकर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार होकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं